A 4/1

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 37/2022

1. सुमेर सिह
2. सुभाष

पुत्र श्री जुगलाल गोदारा जाति जाट निवासी गोदारो का बास, तन श्योपुरा तहसील चिडावा जिला झुझुनू (राज.)।

–– अपीलान्ट

बनाम

श्रीमान तहसीलदार साहब चिडावा जिला झुंझुनूं।

–– रेस्पोडेन्ट

––

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 13.05.2022 न्यायालय तहसीलदार साहब, चिडावा मुकदमा उनवानी सरकार बनाम सुमेर सिह आदि0 मुकदमा नम्बर 161/2021

––

उपस्थितः–

1. श्री मनोज बजाज, एडवोकेट– अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट की ओर

आदेश

दिनांक 28.09.2022

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील तहसीलदार चिडावा के निर्णय दिनांक 13.05.2022 के विरूद्व मय प्रा0प0 स्थगन एवं प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 के पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि श्रीमान तहसीलदार चिडावा ने हल्का पटवारी, श्योपुरा की रिपोर्ट पर अपीलान्ट को बिना सुनवाई किये कृषि भूमि खसरा नम्बर 235 रकबा 2.01 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम पर मकान व तारबन्दी कर अतिक्रमण मानकर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर आदेश पारित किया कि ''पटवारी हल्का की रिपोर्ट को सही मानते हुये गैर सायलान को उक्त विवादित रकबे पर अतिचारी घोषित किया जाता है एवं बेदखली आदेश दिया जाता है तथा आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान राशि 754/– रू0 पैनेल्टी आरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार से मांग कायमी करवाई जावे। पटवारी/गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं बेदखली हेतु लिखा जावे। ''अपीलान्ट न्यायालय तहसीलदार चिडावा के उक्त निर्णय दिनांक 13.05.2022 से व्यथित होकर यह अपील श्रीमान के समक्ष निम्न लिखित आधारों पर पेश है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.05.2022 कानूनी एवं पत्रावली पर आई साक्ष्य के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 13.05.2022 का अवलोकन करने पर यह कहीं भी अंकन नहीं है कि अपीलान्ट को या उनके अधिवक्ता को सुनकर, विधिवत, आदेश पारित किया हो। उक्त आदेशिका से साबित है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलान्ट को सुने ही निर्णय दिनांक 13.05.2022 पारित किया है जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना साक्ष्य लिये ही अपीलान्ट को सुने ही निर्णय दिनांक 13.05.2022 पारित किया है। दिनांक 17.05.2022 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया कि "अपीलान्टस को उक्त प्रकरण पब्लिक लैण्ड प्रोटेक्शन सैल में भी दर्ज है अतः 3 दिवस में उक्त अतिक्रमण को स्वयं हटा ले अन्यथा उक्त अतिक्रमण को प्रशासन द्वारा हटाया जावेगा''

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.28 16:19:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

A 4/2

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पब्लिक लैण्ड प्रोटेक्शन सैल के बिना किसी भी प्रकार का आदेश पारित किये ही, अपनी मन मर्जी से उक्त नोटिस पारित किया है। पब्लिक लैण्ड प्रोटेक्शन सैल में लम्बित प्रकरण पर माननीय उच्च न्यायालय जयपुर का स्थगन आदेश पारित किया हुआ है जो अधीनस्थ न्यायालय को दे दिया था। इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विरूद्ध कानून होने के कारण से उक्त नोटिस की कार्यवाही व अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.05.2022 निरस्त होने योग्य है। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने जबाब में कथन किया है कि " उक्त कृषि भूमि ख0न0 235 रकबा 2.01 हैक्ट0 के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, चिडावा के सम्बन्ध में प्रार्थीगण रोहिताश, सुमेर सिह और सुभाष के द्वारा एक मुकदमा उनवानी रोहिताश कुमार वगै0 बनाम मूर्ति मन्दिर श्री गुगोजी दावा बाबत घोषणार्थ एवं स्थाई निषेधाज्ञा मु0न0 30/2022 प्रस्तुत कर रखा है।" न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय चिडावा के समक्ष विचाराधीन दावा के निर्णय तक अ0धा0 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की कार्यवाही को ड्रोप किया जाना चाहिये था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने एक पक्षीय रूप से निर्णय दिनांक 13.05.2022 पारित किया हैं जो विधि विरूद्ध है। विवादित आराजी पर संवत 1998 एवं संवत 2012 से 2015 में मदन पुत्र मूला काश्तकार दर्ज है। एवं संवत 2019 में मदन एवं विश्म्भर पुत्रान मूला 1/2,– 1/2 खातेदारी में दर्ज है एवं तत्पश्चात संवत 2034 तक लगातार खातेदारी में दर्ज है एवं निरन्तर काबिज काश्तकारी में रहे है। तथा संवत 2034 के पश्चात बंदोबस्त कार्यवाही के दौरान बंदोबस्त अधिकारियो ने रिकार्डेड खातेदार को बिना सुनवाई का मौका दिये, खसरा नं0 235 (नये खसरा नम्बर) संवत 2044– 2053 के बंदोबस्त पर्चे में मंदिर गुगोजी अवैध रूप से दर्ज कर दी जो सरासर गलत एवं प्रारम्भ से ही शून्य है। चूंकि मदन एवं विश्म्भर पुत्रान् मूला संवत 2019 में रिकार्डेड खातेदार दर्ज है तथा ऐसी स्थिति में दीनदयाल, प्रभुदयाल मोहन लाल पुत्रगण मदन ने अपने 1/2 हिस्से को दिनांक 23.06.1990 को जरिये विक्रय का इकरारनामा रोहिताश पुत्र जुगलाल को विक्रय कर विधिवत कब्जा संभला दिया जो आज तक खसरा नम्बर 235 पर मकान, विद्युत कुआ बनाकर काबिज काश्त है। इसी प्रकार से खसरा न0 235 के 1/2 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार विश्म्भर पुत्र मूला दतक पुत्र गिल्लूराम शर्मा जाति ब्राहण निवासी चिडावा ने दिनांक 26.06.1991 को जरिये विक्रय का इकरारनामा सुमेर सिह अपीलान्ट के हक में विक्रय कर विधिवत रूप से भौतिक कब्जा संभला दिया जो आज तक मकान एवं विद्युत कुआ बनाकर काबिज काश्त है। इस प्रकार से अपीलान्टस अपने पूवर्जो के समय से उक्त कृषि भूमि को काश्त कर रहे है व शान्ति पूर्ण रूप से बिना किसी बाधा के काबिज मालिक है। अपीलान्टस धारा 91 राजस्व अधिनियम में पारित परिभाषित ''अतिक्रमी '' की परिभाषा में नही आते है क्योकि अपीलान्टस सम्यक विधिक प्रक्रिया के तहत विवादित आराजी पर काबिज काश्त है एवं अनाधिकृत रूप से कब्जे में नही है। अपीलान्टस सद्भावी केता है ऐसी अवस्था में धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की परिधि में नही आते है। ऐसी अवस्था में पीडित आदेश क्षेत्राधिकार के बाहर होने के कारण काबिले खारिज है। जागीर उन्मूलन अधिनियम के प्रभाव में आने के बाद राजस्थान में जागीर जिसमें ''माफी'' भी शामिल है, **Resume** हो गई ऐसी स्थिति में बंदोबस्त अधिकारियो द्वारा 2044–2053 में आराजी खसरा न0 235 को मंदिर गुगोजी के नाम दर्ज करना प्रारम्भ से शून्य है एवं इस [illegible] का नियमित दावा उप खण्ड अधिकारी के समक्ष विचाराधीन है, जो गुणावगुण पर निर्णीत [illegible]। जागीर उन्मूलन अधिनियम के प्रभाव में आने के कारण **By operation of Law (sec. 9& [illegible])** मदन एव विश्म्भर जो संवत 2019 से ही खातेदार थे, निरन्तरता में बने रहे एवं तदनुसार [illegible] उनके वारिसान द्वारा विधि के तहत अपने अपने हिस्से 1/2–1/2 को अपीलान्ट को [illegible] कर विधिक रूप से भौतिक कब्जा संभला दिया जो कि आज तक बदस्तूर है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को धारा 91 एल आर एक्ट के तहत अतिकमी मानना सरासर अवैध एवं विधि विरूद्ध है। माह जुलाई 2021 में उक्त कृषि भूमि हाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.28 16:19:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

A 4/3

ख0न0 235 रकबा 2.01 के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चिडावा को शिकायत प्राप्त हुई जिस पर तहसीलदार चिडावा ने उक्त भूमि के सम्बन्ध में जॉच करवाई तब हल्का पटवारी श्योपुरा ने अपनी जॉच रिपोर्ट दिनांक 24.08.2021 को तहसीलदार साहब चिडावा के आदेश क्रमांक/राजस्व/609 दिनांक 04.08.2021 की पालना में ग्राम श्योपुरा के ख0न0 235 में मौका पर पहुंची। ग्राम श्योपुरा में जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 में ख0न0 235 रकबा 2.01 हैक्ट0 किस्म बारानी 1 माफी मन्दिर गुगोजी वाके देह हिस्सा पूर्ण खातेदार दर्ज रिकार्ड है। मौके पर उपस्थित जनों ने बताया कि उक्त भूमि सुमेर सिह व सुभाष पुत्र जुगलाल के द्वारा काश्त की जा रही है। जो इनसे पूर्व भी इन्ही के पूर्वज काश्त करते थे। उक्त ख0न0 में 20–30 वर्ष पुराने मकान बने हुये है। जिनमें सुमेर सिह व सुभाष निवास करते है तथा उक्त ख0न0 में सौर उर्जा से संचालित कुआं बना हुआ है। फर्द मौका तैयार कर पढकर सुनाया गया व उपस्थित के हस्ताक्षर करवाये गये।'' इस प्रकार से उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर भी उक्त भूमि काफी वर्षो से अपीलान्टस के पूर्वज और अपीलान्ट्स के द्वारा काश्त किया जाना साबित है। उक्त समस्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के पास उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के और अपीलान्ट्स के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने जबाब में दिये गये कथनों में अंकित है, जिनका बिना विधिवत और न्यायिक विवेक के अध्ययन और अवलोकन के ही अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 13.05.2022 पारित किया है जो विधिक प्रावधानो के एवं प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय जगदीश प्रसाद मीणा बनाम राजस्थान सरकार वगै0 D.B CIVIL PIL (WRIT) पीटीशन नम्बर 10819/2018 के निर्णय दिनांक 30.01.2019 की श्रेणी में अपीलान्ट्स नही आते है। महेन्द्र सिह ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष D.B CIVIL PIL (WRIT) पीटीशन नम्बर 15215/2021 उनवानी महेन्द्र सिह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत हुई। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 03.01.2022 अपीलान्टस को बिना सुने ही पारित किया जिसकी रिव्यू पीटीशन अपीलान्टस के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें माननीय उच्च न्यायालय जयपुर ने दिनांक 26.05.2022 को आदेश पारित किया कि–''Taking into consideration the submission that the writ petition misled the court to seek a direction for enquiry by Public Land Protection cell (PLPC) even trough the land in question bearing Khasra No 235 measuring 2-1 hectares is Mandir Mafi land, we are inclined to restrain all the respondents from proceeding further in the matter pursuant to earlier direction issued by this court vide order dated 03-01-2022 on D.B CIVIL PIL (writ) Petition No. 15215/2021" उक्त रिट पिटिशन में तहसीलदार चिडावा पक्षकार नं0 4 है तथा अधीनस्थ न्यायालय को उक्त माननीय उच्च न्यायालय की प्रति भी अपीलान्ट द्वारा उपलब्ध करवा दी थी किन्तु उक्त आदेश के पश्चात भी तहसीलदार चिडावा अपीलान्ट को बेदखल करने का पूरा प्रयास कर रहे है। अतः श्रीमान न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.05.2022 निरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.28 16:19:26 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि विवादित भूमि ग्राम श्योपुरा स्थित भूमि ख0न0 235 रकबा 2.01 हैक्ट0 के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय डबल बेंच का स्थगन प्रभावी है जिसमे तहसीलदार चिडावा रेस्पोडेन्ट सं0 4 के रूप मे पक्षकार रहे है। माननीय न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय डबल बेंच के स्थगन आदेश के चलते तहसीलदार

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

प्रकरण मे बेदखली की कार्यवाही नही कर सकते है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि माननीय न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय डबल बेंच के स्थगन आदेश के निर्णत तक अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.05.2022 निरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने भी वकील अपीलान्ट के कथनों से सहमति जाहिर की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। अपीलान्ट ने ग्राम श्योपुरा स्थित सरकारी भूमि ख0न0 235 रकबा 2.01 हैक्टर किस्म बारानी सम्पूर्ण मे से 2.01 है0 के क्रम मे माननीय न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय डबल बेंच के स्थगन आदेश के निर्णत तक कार्यवाही किया जाना उचित नही है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.05.2022 खारिज किया जाता है। अपील खारिज होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत को निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.28 16:19:26 IST
Reason: SelfAttested